

ई-नीलामी बिक्री सूचना (सर्फेयसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत)

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्त का पुननिर्माण एवं प्रतिभूति व्याज का प्रवर्तन अधिनियम-2002 (SARFAESI ACT-2002) की धारा 13 (2) नियम 5, 6, 7, 8 और 9 के साथ पठित नियम 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के पास साम्यिक बंधक रखी गई निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में मांग-नोटिस जारी करने के उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बकाया संपत्तियों को कब्जे में ले लिया है। अब प्राधिकृत अधिकारी निम्न संपत्तियों को 'जो है जहां है' एवं 'जो है जैसी है' तथा 'जो कुछ भी वहां है' के आधार पर यथा स्थिति ई-नीलामी द्वारा बिक्री करने हेतु निविदा आमंत्रित करते हैं।

क्र. सं.	ऋणी का नाम एवं शाखा	सम्पत्ति स्वामी का नाम	बकाया राशि एवं मांग पत्र/ कब्जा दिनांक	कब्जा की गई सम्पत्ति के मालिक का नाम एवं सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य रु.	अग्रिम जमा राशि/ खाता सं.	ई-नीलामी की तारीख और समय
1.	1. ओम ट्रेडर्स, प्रो0 रंजीत सिंह पुत्र रामसेवक राठौर 2. श्रीमती गुडडी देवी पत्नी राम सेवक राठौर शाखा कार्यालय : फिरोजाबाद	मालिक श्रीमती गुडडी देवी पत्नी राम सेवक राठौर	रु. 09.97 लाख + ब्याज एवं अन्य खर्चें मांग पत्र दिनांक 06.02.2017 कब्जा दिनांक 09.05.2017	सामयिक सम्पत्ति क्षेत्रफल 940 वर्गफिट बही नं. 1, जिल्द नं. 10385, पेज नं. 63 से 78, क्र. सं. 13963 संशोधित डीड नं. 1514 दिनांक 18.02.2015, 01.12.2014 को पंजीकृत, किताब सं. 1 जिल्द सं. 10505, पेज सं. 1-10 जंगजीवन राम नगर, फिरोजाबाद में स्थित चौहद्दी: पू- मकान/लाट तारा चंद उर्फ पप्पू राठौर, प- श्री सूरजमान का मकान, उ- 16 फिट चौड़ी सड़क, द- मा वैष्णो देवी आवास समिति का प्लाट/सम्पत्ति	रु. 20.89 लाख	रु. 2.09 लाख खाता सं. 10280210000519 IFSC Code: UCBA0001028	14.12.2017 प्रातः 11:00 से सायं 04:00 तक

नियम व शर्तें

1. नीलामी की प्रक्रिया 'आनलाइन ई नीलामी' के तहत की जायेगी जो हमारी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर दिनांक 14.12.2017 को 11 बजे से सायं 4 बजे के मध्य हर 5 मिनट के विस्तार पर उपलब्ध रहेगी। 2. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक निविदाकर्ता का वैध रूप से ईमेल पता होना अनिवार्य है। 3. नीलामी में भाग लेने वाले निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे हमारी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर जाकर नीलामी की शर्तों और नियम का गहन अध्ययन करके ही नीलामी/ बिक्री की प्रक्रिया में भाग लें। 4. नीलामी में भाग लेने वाले निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे हमारी वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> पर जाकर नीलामी की विस्तृत नियम व शर्तों की जानकारी प्राप्त कर लें। 5. निविदा फार्म के साथ पहचान की एक कापी भी संलग्न करें। इसके लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या फोटो लगा हुआ पहचान पत्र जो केन्द्र/उपरोक्त सरकार द्वारा जारी हुआ हो, निविदा फार्म के साथ जमा किया जा सकता है। निविदा में भाग लेने वाले ऐसे सभी लोग जो विदेशों में रह रहे हैं/या पीआईओ जिनके पास दोहरी नागरिकता हो/या विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक (एनआरआई) को चाहिए कि वे अपने/अपनी वैध भारतीय पासपोर्ट की फोटो कापी निविदा फार्म के साथ जमा कर सकते हैं लेकिन मूल दस्तावेजों को मांगने पर उन्हे दिखाना होगा। 6. 10 प्रतिशत आरक्षित मूल्य आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा भेजकर एकाउंट नं. जो प्रत्येक सम्पत्ति का अलग अलग विज्ञापन में दिया है, में जमा करें तथा जमा धनराशि को जिस सम्पत्ति के लिए किया गया है, स्पष्ट रूप से उल्लिखित करें। अग्रिम धनराशि (ईएमडी) असफल निविदाकर्ताओं को बिना कोई देय ब्याज के वापस कर दिया जायेगा। नीलामी के निरस्त होने की स्थिति में भी बैंक द्वारा ईएमडी राशि बिना ब्याज के निविदाकर्ताओं को लौटा दी जायेगी। इस संबंध में निविदाकर्ताओं को चाहिए कि वे नीलामी की प्रक्रिया बन्द होने के बाद बैंक से सम्पर्क कर लें। 7. निविदा फार्म की एक कापी जो सभी आवश्यक संलग्नक के साथ हो जिसमें यूटीआर नम्बर का विवरण भी हो, अधिकृत अधिकारी यूको बैंक, अंचल कार्यालय कानपुर को देय या उसकी साफ्ट कापी ईमेल द्वारा zo.kanpur@ucobank.co.in को 11.12.2017 तक प्रेषित करें। बैंक निविदा फार्म के देशी से पहुंचने या न पहुंचने या संलग्नक के न होने पर पोस्टल/कोरियर एजेंसी/कैरियर द्वारा देरी करने पर बैंक जिम्मेदार न होगा। 8. निविदा फार्म को जमा करने की अंतिम तिथि 11 दिसम्बर 2017 को सायं 4 बजे तक है। 9. अधूरी निविदा फार्म बिना दस्तखत किये हुए निविदा फार्म या क्र. संख्या 5, 6, 7 और 8 में वर्णित आवश्यकतानुसार न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। ऐसे निविदा प्रपत्र जो आरक्षित मूल्य से ऊपर नहीं है उन्हे भी अस्वीकार किया जा सकता है। अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा के वह बिना कारण बताये किसी किसी भी निविदा को स्वीकार करे या या अस्वीकार करे या नीलामी को स्थगित/निरस्त करे। 10. नीलामी/निविदा की प्रक्रिया केवल 'आनलाइन ई नीलामी' के द्वारा ही होगी। आनलाइन नीलामी सबसे ऊंची बोली जो निविदा फार्म में दी गई होगी से प्रारम्भ होकर कम से कम बढ़ोत्तरी को रूपया 10,000/- के गुणांक में सम्पत्ति के सभी भागों पर लागू होगी। 11. केवल एक निविदाकर्ता होने की स्थिति में उसके द्वारा निविदा फार्म में दर्शायी गई धनराशि को 'एक निविदादाता वृद्धि कीमत के आधार पर बढ़ोत्तरी करनी होगी अन्यथा नीलामी को निरस्त या स्थगित कर दिया जायेगा। 12. यदि बाजार वृद्धि नीलामी (जो सबसे ऊंची बोली लगने से भी ऊंची होने की स्थिति में) प्राप्त की जाती है तो बोली के 5 मिनट के अन्दर प्राप्त की जाती है नीलामी की प्रक्रिया अगले 5 मिनट के स्वतः ही बन्ना दी जायेगी। यह प्रक्रिया अगले 5 मिनट के लिए तब तक जारी रहेगी जब तक कोई अन्य बोलीकर्ता न आ जाये। 13. ऊंची बोली की निविदा व्यवहारिक रूप से 'सहमति आधारित' आधार पर स्वीकार कर ली जायेगी। लेकिन ऊंची बोली लगाने वाले को जब तक बिक्री की पुष्टि न हो जाये सम्पत्ति पर आधिकार न होगा। 14. सफल निविदादाता को खरीद कीमत (जिसमें ईएमडी जिसका हलफे ही भुगतान कर चुके हैं भी शामिल) का 25 प्रतिशत नीलाम खत होने के तुरन्त बाद जैसा कि उपरोक्त क्रम संख्या 7 में वर्णित है कि अनुसार जमा करना होगा। शेष 75 प्रतिशत बकाया राशि 15 दिनों के अन्दर स्वीकार/पुष्टि होने की स्थिति में जमा करना होगा। 15. सफल निविदादाता को बकाया धनराशि 15 दिन के अन्दर तब भेजना होगा जब उसके पक्ष में निविदा की पुष्टि हो जाये। यदि सफल बोली कर्ता दी गयी समय सीमा के अन्दर पैसा नहीं जमा करता है तो उक्त सम्पत्ति फिर से बेची जायेगी। ऐसी स्थिति में बोली कर्ता की कमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और उस सम्पत्ति या जमा की गयी धनराशि पर उक्त बोलीकर्ता का कोई अधिकार न रहेगा। 16. निविदा में भाग लेने वाले बोलीकर्ता ई नीलामी बिक्री शुरू होने के 5 दिन पूर्व 11 बजे से सायं 3 बजे तक सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। उक्त सम्पत्ति दिनांक 09.12.2017 को 11 बजे से सायं 05 बजे तक पूर्व में बैंक से सहमति लेकर निरीक्षण कर सकते हैं। सम्पत्ति के सम्बंध में कोई भी जानकारी श्री पी एम बुनकर को यूको बैंक अंचल कार्यालय कानपुर पिन 208001 (मोबाइल 09460552446) के अधिकृत अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। 17. दो या दो से अधिक लोग साथ साथ निविदा में भाग ले सकते हैं ऐसी स्थिति में विक्रय प्रामाण पत्र उनके ज्वाइंट नामों से जारी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम विक्रय प्रामाण पत्र में शामिल नहीं किया जायेगा। 18. सम्पत्ति में एक से अधिक भाग बिक्री की दशा में सम्पत्ति की बिक्री सुविधानुसार की जायेगी और ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि बिक्री की प्रक्रिया बिक्री की सूचना के क्रमानुसार ही हो। 19. निविदा में भाग लेने वाले बोलीकर्ताओं को सभी सूचनाएं ईमेल द्वारा हमारे सर्विस प्रदाता द्वारा दिया जायेगा। जिस दिन ईमेल से सूचना प्रेषित की जायेगी उसे ही सूचित करने का दिन समझा जायेगा। यदि निविदादाता को कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो बोली दातओं से अपेक्षा की जाती है कि वे ई आवश्यक सर्विस प्रदाता से वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें। सूचना न मिलने का बहाना भुगतान न करने या डिफाल्ट होना स्वीकार नहीं किया जायेगा। 20. यदि बिक्री की प्रक्रिया 30 दिनों या उससे कम के लिए स्थगित कि जाती है तो पुनः बिक्री की सूचना नहीं दी जायेगी। 21. यदि ऋणी बैंक के अधिकृत अधिकारी को निर्धारित राशि में अन्य खर्चों सहित विक्रय पुष्टि सूचना पत्र जारी होने के पूर्व भुगतान कर देता है तो ऐसी स्थिति में बैंक सफल निविदादाता को बिना ब्याज के उसकी समस्त धनराशि वापस कर देगा। 22. सभी प्रकार के वैधानिक हलफे आदि या जो भी सरकारी या स्थानीय बकाया हो उसे सफल बोलीकर्ता को भरना पड़ेगा। 23. सफल बोलीकर्ता को सभी प्रकार के खर्चें जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस आदि शामिल है भुगतान करना होगा। 24. निविदा प्रक्रिया बैंक की सुरक्षित क्रेडिट पर आधारित होगी। 25. किसी भी तरह की जानकारी विशेष कर किसी सम्पत्ति विशेष, दस्तावेजों के अवलोकन या अन्य नियम व शर्तें जो विक्रय से संबंधित हैं यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी अंचल कार्यालय कानपुर या उनके मोबाइल नं 09460552446 से किसी भी कार्य दिवस में हासिल की जा सकती है।